FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

म्हावीर पिता रामनिवास साधू **बनाम श्री रामदयाल पिता भूरदास साधू वगैरा**
नि0 तसवारिया बांसा तह0 फूलियाकलां **निवासी तसवारिया बांसा तह0 फूलियाकलां**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटि0ए0** प्रकरण संख्या **528 / 2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14–11–2018	पत्रावली बाद जॉच पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि ग्राम तसवारिया बांसा प0ह0 तसवारिया बांसा मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण नं0 1 के सामलाती खाते की पुश्तेनी आराजीयात जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 435 कुल किता 06 रकबा 2.62 है0 स्थित है। जिसमे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है किन्तु भौतिक रूप से उक्त आराजीयात आदिनांक तक अविभक्त है एवं सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 की उम्र 85 वर्ष है एवं वो अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुके है अक्सर बीमार रहते है उनके कोई वारिस नही होने से प्रार्थी एवं उसके परिजन ही विपक्षी संख्या 01 की सेवा सुश्रुषा कर रहे है। विपक्षी सं0 1 मानसिक रूप से स्वस्थ नही होने की वजह से किसी भी कार्य को करने मे पूर्ण रूप से असक्षम है जिसका नाजायज फायदा उठाकर कोई भी उनकी सम्पति खुर्द बुर्द कर सकता है। पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात अविभक्त होकर विपक्षी सं0 1 को बंटवाड़े के लिये कहा किन्तु उसके द्वारा 10.11.2018 को स्पष्ट रूप से मना कर देने एवं सम्पूर्ण आराजीयात को बेचने की धमकी देने के कारण प्रार्थी को यह बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। पेरा नं0 2 मे वर्णित आरजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की पुस्तेनी होने एवं आदिनांक तक अविभक्त होने के कारण एवं विपक्षी संख्या 01 क मानसिक क्षमता कमजोर होने के बावजूद सम्पूर्ण अविभक्त आराजीयात को बेचने की धमकी देने के कारण प्रार्थी को	ता0की0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ जिला–भीलवाड़ा

विपक्षी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात पुश्तेनी होने से एवं आदिनांक तक उक्त आराजीयात अविभक्त होकर सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि विपक्षी नं0 1 द्वारा पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात का हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष मे व विपक्षीगण नं0 1 के विरूद्व ताफैसला वाद पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात विपक्षीगण नं0 1 किसी प्रकार का हस्तान्तरण, रहन, बय बिकाव आदि स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों या ऐजेन्टो से न करे व न करावे। इस हेतु पाबन्द किया जावे। प्रार्थी को उक्त कृषि आराजीयात से बेदखल नही करे व न करावे। विपक्षी नं0 3 पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात मे से संबंधित विक्रय हस्तान्तरण का पंजीयन नही करे एवं विपक्षी सं0 4 राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः वाके ग्राम तसवारिया बांसा प0ह0 तसवारिया बांसा की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 435 आराजी कुल किता 06 रकबा 2.62 है0 पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षी नं0 1 किसी प्रकार का हस्तान्तरण, रहन, बय बिकाव आदि स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों या ऐजेन्टो से न करे व न करावे। प्रार्थी को उक्त कृषि आराजीयात से बेदखल नही करे व न करावे। विपक्षी नं0 3 पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात मे से संबंधित विक्रय हस्तान्तरण का पंजीयन नही करे एवं विपक्षी सं0 4 राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा पेश होने पर जारी हो। विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 14.12.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला-भीलवाड़ा